संख्या–1103 / पॉच–5 / 2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2020

विषय–कन्टेनमेन्ट जोन / हाट स्पाट के वर्गीकरण में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक संख्या–40–3/2020–डी0एम0–1(ए) दिनॉक 1 मई 2020 के आदेशानुसार कोविड–19 के रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर जनपदों को ग्रीन जोन/रेड जोन/आरेन्ज जोन में वर्गीकृत किया गया है। उक्त आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन जनपदों में पिछले 21 दिनों से कोविड–19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं हुआ है, ऐसे जनपदों को ग्रीन जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उक्त के दृष्टिगत जिस हाट–स्पाट के कन्टेनमेन्ट जोन से विगत 21 दिनों से कोविड–19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न हुआ हो, उस हाट–स्पाट को बन्द कर दिया जाएगा तथा कन्टेनमेन्ट जोन की कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। भविष्य में कोई नया पुष्ट केस आने पर फिर से कार्यवाही की जाएगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
15.5.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1103 / पॉच–5 / 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, पुलिस, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0,
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
15/05/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

Pankaj/GO/COME-3